

पीर बनाम राफ सरकार

किस्म मुकदमा :- 88/188

रा. काश्त. अधि. 1955, 131

प्रकरण संख्या 7 व सन् :- 2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
3/5/17	<p>अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद प्रस्तुत किया वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक 26/5/17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(Signature)</p> <p style="text-align: center;">न्याय आपके द्वार अभियान - 2017 लोक अदालत</p>	
12.5.17	<p>पत्रावली कैम्प कोर्ट इसबाब में पेश हुयी बाब में रिपोर्ट ने पत्रावली पेश किया जा रहा है।</p> <p>अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि जल मोतीपुरा के बंदिगा खतम नम्बर 826 हाल ख. नं. 766 र. नं. 0-10 की आसपास वादी के फदीमी बरत करवा दी है। उक्त आसपास का क्षेत्र मानसिज खेतोबल विमान द्वारा सुप्रीम कोर्ट किया है व बाब ही हाल ख. नं. 766 के जल ल्याही के तरफीद भी कर दी है कि कारण प्रतिवादी वकी के बरत करवा के दखलबांधी का रहा है अतः हाल ख. नं. 766 का मानसिज खेत मानसिज खेतोबल विमान किया जाये व प्रतिवादी को पत्रावली रिपोर्ट पेश किया जाये।</p>	

(Signature)
पाठासीन अधिकारी
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट : 12/5/17

शाल प्रयोग में जल को वाष्पित किया गया है
766 संख्या 0.70 मिलियन टन 2059-78 के उपार्जन
विभाग में कार्रवाई की गई है। हाल में जल
2070-73 के जल न 766 संख्या 0.09 प्रति साल
246 के अनुपात में जोतवारी में दी गई है। शेष जल
766 संख्या 0.61 विभाग में दी गई है। वधि के लिए उचित
आवृत्ति जोतवारी नहीं है।

पगावली का अवशोषण व अनुशीलन किया

वधि न 826 का कुल संख्या 110-1410 बीघर
का जिले में है। हाल जल न 826 वधि में जल
संख्या 766 संख्या 0.70 का जल जमा किया है।
शेष जल की सीमा वधि द्वारा स्पष्ट नहीं की गयी
है। वधि संख्या 766 का प्रत्येक वर्ष प्रशासनिक
अनुपात प्रदान करना चाहिए। किंतु वधि न
संख्या 826 के समान हाल जल न की जांच की
व विभाग लेजर में नहीं किया है। वधि के लिए
वधि न 826 व हाल जल न 766 जोतवारी
नहीं है। वधि उचित आवृत्ति का प्रशासनिक मात्र
लगावशील करते के आधा या प्रदान करना
नाहिका है। वधि उचित आवृत्ति का जोतवारी नहीं है
ना ही अनुपात में इसके द्वारा जोतवारी नहीं की गई
किंतु जोतवारी जल वधि वधि न संख्या प्रदान व
आवृत्ति विधेयता जोतवारी का आवृत्ति नहीं है।
संख्या 766 के लिए 0.09 संख्या अनुपात वधि

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट

शकतेदारी के होने के कारण ही हाल मजदूर
मजदूरों के लक्ष्य के गयी हैं) अतः
हाल मजदूरों के लक्ष्य के गयी तरफ़ीय विधिगत
है जिससे कोई भी विधि नहीं होती है

इसके बाद जिला पंचायत के हाल में
766 रु. के लक्ष्य 0.170 की आसानी पर वादी
का वाद "इवाकिल" किया जाता है।
जिसके जलवाट शर्तों के लक्ष्य के लक्ष्य
इस आशय की जमीन दिखी जाती है।
जिसके लक्ष्य के लक्ष्य है जो नम्बर के लक्ष्य
है जो नम्बर के लक्ष्य है।

पाठासांन अधिकारी
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट :
S. S. S.